

22-3-20

उपरोक्त पक्ष नुसलित पीकारकीन अधिकारी राजकीय कार्य से बाहर है। अवकाश पर है / पदरिक्त है। अतः पत्रावली दिनांक 25-3-20 को पेश हो।

रीडर  
उपखण्ड अधिकारी माण्डल

8-5-20

उपरोक्त पक्ष नुसलित पीकारकीन अधिकारी राजकीय कार्य से बाहर है। अवकाश पर है / पदरिक्त है। अतः पत्रावली दिनांक 29-5-20 को पेश हो।

रीडर  
उपखण्ड अधिकारी माण्डल

29-5-20

उपरोक्त पक्ष नुसलित पीकारकीन अधिकारी राजकीय कार्य से बाहर है। अवकाश पर है / पदरिक्त है। अतः पत्रावली दिनांक 14-8-20 को पेश हो।

रीडर  
उपखण्ड अधिकारी माण्डल

04-8-20

पत्रावली पेश हुई, अभिभाषकगण द्वारा न्यायिक कार्य स्थगन/बहिष्कार रखने से पत्रावली दिनांक को पेश हो।  
25-8-20

25-8-20

उपरोक्त पक्ष नुसलित पीकारकीन अधिकारी राजकीय कार्य से बाहर है। अवकाश पर है / पदरिक्त है। अतः पत्रावली दिनांक 15-9-20 को पेश हो।

रीडर  
उपखण्ड अधिकारी माण्डल

15-9-20

पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थोगण उपस्थित, अप्रार्थोगण के सम्मन खाफ तामिल होकर प्राप्त हुए जिसे शा-पठ किये गये। तहसील पर मॉडल से मॉका रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसे शा-पठ की गई। अप्रार्थोगण को डितनी अर्तिका धावाजे फिलाथी जाने उपरान्त भी उपस्थित नहीं, इनके पिकर तक तरफा कार्यवाही किये जाने के आदेश दिये जाते हैं वकील प्रार्थोगण ने मॉका रिपोर्ट पर बहस करनी चाही। बहस सुनी गई। वकील प्रार्थोगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर निर्णय सुपड से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फॉरवर्ड भुगार होकर नम्बर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी  
माण्डल जिला मीलवाड़ा



राजस्थान - सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डल जिला भीलवाडा

प्राचीन अधिकारी-महीपाल सिंह, आर.ए.एस.

दस्ता संख्या - 176/19 प्रा.एस.

श्री छतर 510 श्री जयकिशन जाट गिपारी - भावलारा तहसील-मांडल (गौरा)

-प्रार्थी

बनाम

- श्री कामा 510 श्री मौती गाडरी गिपारी - भावलारा का खेडा तहसील-मांडल (गौरा)  
(सिद्धांकिन प्रा.एस. सलंग)

-विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956

दिनांक:-15.09.20

::आदेश::

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम भावलारा पटवार हल्का भावलारा तहसील माण्डल में उसके खाते /संयुक्त खाते की आराजी नं. 580, 581 कुल किता 02 रकबा 04 बीघा 08 बिस्वा स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदायिवा के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिसमें प्रार्थी अपने खाते/संयुक्त खाते की भूमि की पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जावें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 03.12.19 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को अवलोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी एवं कब्जे काशत काशत की होने से पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकारी अभिलेख में किसी प्रकार की हेरा-फेरी होने का अंदेशा नहीं है तथा न किसी प्रकार अधिकार निर्धारित किये जाते हैं। अतः इन तथ्यों को देखते हुए नैसर्गिक की न्यायिक सिद्धान्त के आधार पत्र स्वीकार योग्य है।

::आदेश::

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम भावलारा पटवार हल्का भावलारा तहसील माण्डल में उसके खाते/संयुक्त खाते की आराजी नं. 580, 581 कुल किता 02 रकबा 04 बीघा 08 बिस्वा भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगढी किये जाने हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक म.प.गौर 400/- रुपये/- कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा करावें। कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकरान् की मौजूदगी में मौके व कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुए मुस्तकील विन्दु को आधार मानकर पत्थरगढी की जावें। फसल खडी होने पर पत्थरगढी नहीं की जावें।

उपखण्ड अधिकारी  
माण्डल भीलवाडा

प्रतिलिपि:- तहसीलदार माण्डल को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करें।

उपखण्ड अधिकारी  
माण्डल भीलवाडा